

फॉर्म नं० 11A
फर्द अहकाम

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) मुकाम श्री गंगानगर।

गौरी शंकर बनाम राज्य
किस्म मुकदमा अपील नम्बर / सन् 2011

क्र.सं. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता०
25-1-11	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील लिमिटेशन के बिन्दू को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जावे। रेसपोडेन्ट व रेकार्ड तलब किया जावे।</p> <p>स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि चक 22 जी बी की 44.12 बीघा भूमि अपीलान्ट के नाम से राजस्व अभिलेख में चली आ रही है तथा अपीलान्ट के कब्जा काश्त में है और गिरदावरी भी अपीलान्ट के नाम से है। मु० नं० 34 की 16-10 बीघा भूमि जो सीलिंग में सरप्लस घोषित की गई थी वह भूमि डूंगर राम की कभी नहीं रही है। मौके पर अपीलान्ट की फसल काश्त की हुई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि यदि अपीलाधीन भूमि का कब्जा अपीलान्ट से ले लिया जाता है तो उसे नापूरा होने वाला नुकसान होगा।</p> <p>अपीलार्थी के तर्कों पर समन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रधानदृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29-4-76 में वर्णित चक 22 जी बी की 16-10 बीघा भूमि पर आगामी आदेश तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। फर्दअहकाम की प्रति संबंधित तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली दिनांक 28-2-11 को पेश हो।</p>	<p>52 27-1-11</p>
28-2-11	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील लिमिटेशन के बिन्दू को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जावे। रेसपोडेन्ट व रेकार्ड तलब किया जावे।</p> <p>स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि चक 22 जी बी की 44.12 बीघा भूमि अपीलान्ट के नाम से राजस्व अभिलेख में चली आ रही है तथा अपीलान्ट के कब्जा काश्त में है और गिरदावरी भी अपीलान्ट के नाम से है। मु० नं० 34 की 16-10 बीघा भूमि जो सीलिंग में सरप्लस घोषित की गई थी वह भूमि डूंगर राम की कभी नहीं रही है। मौके पर अपीलान्ट की फसल काश्त की हुई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि यदि अपीलाधीन भूमि का कब्जा अपीलान्ट से ले लिया जाता है तो उसे नापूरा होने वाला नुकसान होगा।</p> <p>अपीलार्थी के तर्कों पर समन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रधानदृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29-4-76 में वर्णित चक 22 जी बी की 16-10 बीघा भूमि पर आगामी आदेश तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। फर्दअहकाम की प्रति संबंधित तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली दिनांक 28-2-11 को पेश हो।</p>	

(Handwritten signature and stamp)

28-2-11


28-4-11

(Handwritten notes and signatures)

31/7/2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वयं को पृथक-पृथक समय पर रुक-रुक कर बार-बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।


अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)